न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 3/2022

1. अशोक कुमार पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. दाताराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. विनोद कुमार पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री भूराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 342/92 के खसरा सं0 509 की 13.013है0, खसरा सं0 524 की 10.952है0 कुल 23.9650है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दाताराम के नाम से 1/6 हिस्सा व रोही कणाऊ के खाता सं0 334/173 के खसरा सं0 384 की 11.673है0, खसरा सं0385/2 की 5.0590है0 कुल 16.7320है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दाताराम के नाम से 1265/16732 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी स0 1 दाताराम की बजाय वादी अशोक कुमार व प्रतिवादी सं0 1 दाताराम व प्रतिवादी सं0 2 विनोद कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3-2-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 3/2022

1. अशोक कुमार पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. दाताराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. विनोद कुमार पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादी

वकील श्री प्रभूराम गोदारा: **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 3.2.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 342/92 के खसरा सं0 509 की 13.013है0, खसरा सं0 524 की 10.952है0 कुल 23.9650है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दाताराम के नाम से 1/6 हिस्सा व रोही कणाऊ के खाता स0 334/173 के खसरा सं0 304 की 11.673है0, खसरा सं0385/2 की 5.0590है0 कुल 16.7320है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दाताराम के नाम से 1265/16732 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा भगवानाराम की खातेदारी हुआ करती थी। भगवानाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 दाताराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एव अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यह बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एव प्रतिवादी सं 1 व 2 के द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 अशोक कुमार पुत्र दाताराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबदी कणाऊ के खाता सं0 342/92 प्रदर्श 1, जमाबदी रोही कणाऊ खाता सं0 334/173 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही कणाऊ खाता सं0 173/176 संवत 2072—75 प्रदर्श 3, जमाबदी रोही कणाऊ खाता सं0 167/146

Scanned with CamScanner

संवत 2068–71 प्रदर्श 4, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सन्तरों प्रदर्श 5ए, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पडता है।अतः मुताबिक राजीनामाव वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कणाऊ के खाता सं0 342/92 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही कणाऊ खाता सं0 331/173 प्रदर्श 2, जमाबदी रोही कणाऊ खाता स0 173/176 संवत 2072–75 प्रदर्श 3, जमाबदी रोही कणाऊ खाता सं0 167/146 संवत 2068–71 प्रदर्श 4, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सन्तरों प्रदर्श 5ए, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 6 वारिस प्रमाण के अनुसार दाताराम के दो पुत्र अशोक कुमार व विनोद कुमार तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 3 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना सावित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताविक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 342/92 के खसरा सं0 509 की 13.013है0, खसरा सं0 524 की 10.952है0 कुल 23.9650है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दाताराम के नाम से 1/6 हिस्सा व रोही कणाऊ के खाता स0 334/173 के खसरा स0 304 की 11.673है0, खसरा सं0 385/2 की 5.0590है0 कुल 16.7320है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दाताराम के नाम से 1265/16732 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 दाताराम की वजाय वादी अशोक कुमार व प्रतिवादी सं0 1 दाताराम व प्रतिवादी स0 2 विनोद कुमार को वहिस्सा वरावर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि वैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3.2.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] चौधरी)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

2|0 25.

Scanned with CamScanner